मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल – 462004

Website : www.mpmandiboard.gov.in E-mail : mdmandiboard@gmail.com Tel: 0755-2553429

क्रमांक/बी–5/2/ई–मण्डी व ई–अनुज्ञा/2018–19/913 भोपाल दिनांक 06 जुलाई 2018

प्रति,

1. संयुक्त संचालक/उप संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/सागर/जबलपुर/रीवा (म0प्र0)

2. सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति (समस्त),
.... जिला ....(म0प्र0)

विषयः–व्यापारियों एवं अंचल, मण्डी कर्मियों के लिये ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र प्रणाली प्रशिक्षण कार्यालय आयोजित किये जाने संबंधी।

संदर्भः–कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बी–5/2/ई–मण्डी व ई–अनुज्ञा/2018–19/868–869 दिनांक 07 जून 2018 एवं पत्र क्रमांक 870–871 दिनांक 07 जून 2018 एवं पत्र क्रमांक 909–910 दिनांक 29 जून 2018।

–0–

प्रदेश की मण्डी समितियों में दिनांक 01 जुलाई 2018 से ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र ऑनलाईन प्रणाली को लागू किये जाने के संबंध में दिनांक 19 जून 2018 को श्री इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ इंदौर एवं दिनांक 25 जून 2018 को भोपाल व्यापारी संघ के पदाधिकारियों, प्रतिनिधियों के साथ मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल में बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें व्यापारी संघों द्वारा दिये गये सुझावों को दृष्टिगत रखते हुये मण्डी बोर्ड द्वारा ई–अनुज्ञा प्रणाली से अभ्यस्त होने के लिये विभिन्न अंचल के व्यापारियों एवं मण्डी/अंचल कर्मियों के लिये एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन प्रत्येक संभागीय (आंचलिक) स्तर पर किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :–

1	प्रशिक्षण दिनांक 10 जुलाई 2018 – उज्जैन संभाग की समस्त 42 मण्डियॉ (प्रति अंचल कार्या./प्रति मण्डी दो कर्मचारी के मान से) (प्रति मण्डी दो व्यापारी प्रतिनिधि के मान से)
2	प्रशिक्षण दिनांक 11 जुलाई 2018 – इंदौर संभाग की समस्त 32 मण्डियॉ (प्रति अंचल कार्या./प्रति मण्डी दो कर्मचारी के मान से) (प्रति मण्डी दो व्यापारी प्रतिनिधि के मान से)
3	प्रशिक्षण दिनांक 12 जुलाई 2018 – भोपाल संभाग की समस्त 49 मण्डियॉ (प्रति अंचल कार्या./प्रति मण्डी दो कर्मचारी के मान से) (प्रति मण्डी दो व्यापारी प्रतिनिधि के मान से)
4	प्रशिक्षण दिनांक 17 जुलाई 2018 – ग्वालियर संभाग की समस्त 45 मण्डियॉ (प्रति अंचल कार्या./प्रति मण्डी दो कर्मचारी के मान से) (प्रति मण्डी दो व्यापारी प्रतिनिधि के मान से)

Sandeep

5	प्रशिक्षण दिनांक 20 जुलाई 2018 – सागर संभाग की समस्त 36 मण्डियॉ (प्रति अंचल कार्या./प्रति मण्डी दो कर्मचारी के मान से) (प्रति मण्डी दो व्यापारी प्रतिनिधि के मान से)
6	प्रशिक्षण दिनांक 23 जुलाई 2018 – रीवा संभाग की समस्त 18 मण्डियॉ (प्रति अंचल कार्या./प्रति मण्डी दो कर्मचारी के मान से) (प्रति मण्डी दो व्यापारी प्रतिनिधि के मान से)
7	प्रशिक्षण दिनांक 24 जुलाई 2018 – जबलपुर संभाग की समस्त 35 मण्डियॉ (प्रति अंचल कार्या./प्रति मण्डी दो कर्मचारी के मान से) (प्रति मण्डी दो व्यापारी प्रतिनिधि के मान से)

संभागीय स्तर पर उक्त एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के प्रथम सत्र में ई–अनुज्ञा प्रणाली के बारे में पॉवर पाईंट प्रस्तुति दी जावेगी जबकि द्वितीय सत्र में ई–अनुज्ञा प्रणाली पर कार्य का व्यवहारिक (प्रेक्टिकल) प्रशिक्षण दिया जावेगा। इस प्रशिक्षण कार्यकम के आयोजन के लिये संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय के द्वारा ऐसे उपयुक्त स्थल/संस्था का चयन करें जहॉ प्रशिक्षण के लिये पर्याप्त संख्या में कम्प्यूटर अधोसंरचना (प्रति दो प्रशिक्षणार्थी के मान से एक कम्प्यूटर) मय इंटरनेट सुविधा के उपलब्ध हो। साथ ही पॉवर पाईंट प्रस्तुति के लिये एल0सी0डी0 प्रोजेक्टर, स्क्रीन एवं माईक इत्यादि की व्यवस्था पूर्ण कराकर कियाशील रखें। बैठक व्यवस्था में व्यापारी प्रतिनिधियों को प्राथमिकता दी जावे। इस कार्यकम को अंतिम रुप देकर इसकी सूचना सभी संबंधितों को यथा समय दी जाना सुनिश्चित करें।

उक्त एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला कार्यकम में मण्डी बोर्ड की और से श्री संदीप कुमार चौबे, चीफ प्रोग्रामर, श्री मनोज सबरवाल, सहायक उपनिरीक्षक एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई के श्री जितेन्द्र पाराशर, साईंटिस्ट–"बी" एवं साफ्टवेयर टीम के श्री रामकिशुन असाटी विशेष रुप से कार्य का प्रशिक्षण देने के लिये उपस्थित रहेगें। उक्त प्रशिक्षण कार्यकम संयुक्त/उप संचालक आंचलिक कार्यालय के द्वारा निर्धारित उपयुक्त स्थल/संस्था पर समय प्रातः 10.30 बजे से सांय 04.30 बजे तक आयोजित होगा।

उक्त एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यकम में संयुक्त/उप संचालक आंचलिक कार्यालय अपनी स्वयं की एवं ई–अनुज्ञा कियान्वयन में लगे अंचल/मण्डी के प्रशिक्षित कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य रुप से सुनिश्चित करेंगे। साथ ही आंचलिक प्रभारी/मण्डी सचिव अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों से चर्चा में अनुरोध कर निर्धारित संख्या अनुसार व्यापारी प्रतिनिधियों की उपस्थिति प्रशिक्षण स्थल पर यथा समय अनिवार्य रुप से सुनिश्चित करायेंगे। जो मण्डी सचिव इस कार्य में लापरवाही बरतते हैं एवं जो चिन्हांकित मण्डी कर्मचारी प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

अतः उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / बी–5 / 2 / ई–मण्डी व ई–अनुज्ञा / 2018–19 / 914 भोपाल दिनांक 06 जुलाई 2018

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(1) निज सहायक, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास सह अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(2) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।

(3) अपर संचालक (वित्त) / अपर संचालक (नियमन) / अपर संचालक (प्रशिक्षण) / अपर संचालक (योजना) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(4) श्री ए0एन0सिद्धीकी, तकनीकी निदेशक भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल :– उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्धारित तिथि अनुसार श्री जितेन्द्र पाराशर, साईंटिस्ट–"बी" एवं ई–अनुज्ञा कार्य में लगे श्री रामकिशुन असाटी की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का अनुरोध है।

(5) श्री अब्राहम वर्गिस, सीनियर साईंटिस्ट–"ई", भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन, भोपाल।

(6) श्री संदीप कुमार चौबे, चीफ प्रोग्रामर, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल (म0प्र0)।

(7) श्री जितेन्द्र पाराशर, साईंटिस्ट–"बी", भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन, भोपाल।

(8) श्री मनोज सबरवाल, सहायक उपनिरीक्षक द्वारा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति भोपाल जिला भोपाल।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल